



गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६

प्रस्तुतिमा: गोलभेडा न्यानो मौसममा उष्ण, उपोष्ण र शीतोष्ण इवापानी भएका क्षेत्रमा खेती भएता पनि वेमौसमी तरकारी खेतीको पर्यायवाचीको रूपमा विकास भएको यसको खेती मध्य पहाडमा वाहै महिना जस्तो गरिन्छ । यो फल खाने तरकारी बाली काँचै सलादको रूपमा खानुका साथै प्रशोधित परिकारहरू जस्तै रस, केचप, लेदो, अचार, धुलो र अरू धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरी गोलभेडाको प्रशोधित गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. तीन, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट यो कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।

परिच्छेद- १

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस कार्यविधिको नाम 'गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६' रहेको छ ।
- (२) यो कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **परिभाषा:** विषय वा प्रसंगले अकों अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,-

- (क) "अनुदान" भन्नाले यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध गराइने नगद अनुदान रकम सम्झनु पर्दछ ।
- (ख) "अनुदानग्राही" भन्नाले अनुदान सहयोग पाउनका लागि छनौट भएका कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषि उद्यमी र कृषि सहकारी संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ग) "आवेदक" भन्नाले योग्यता पुगेका गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अनुदान मागका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषि उद्यमी र कृषि सहकारी संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।
- (घ) "केन्द्र" भन्नाले निर्देशनालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (ङ) "निर्देशनालय" भन्नाले मन्त्रालय मातहतका कृषि विकास निर्देशनालय सम्झनु पर्दछ ।
- (च) "परियोजना" भन्नाले प्रशोधन केन्द्र संरचना निर्माणलाई सम्झनु पर्दछ ।
- (छ) "प्रशोधन केन्द्र" गोलभेडाको फलको प्रशोधित परिकार तयार गर्ने गोलभेडा धुने, पखालने, स्तरीकरण गर्ने, छाटने, प्रिकुलीड गर्ने, शैतिक, जैविक तथा रासायनिक प्रदुषण हटाउने, आधारभूत कच्चा पदार्थ तयार गर्ने, डिग्रिनिंग गर्ने, फल पकाउने, रोगकिरा नष्ट गर्ने, तातो वा चिसो उपचार गर्ने, ग्रेडिंग गर्ने, सुकाउने, प्रशोधन गर्ने, प्याक गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने, लेबल लगाउने, बार कोड टास्ने, सफ्टवेयर, सूचना प्रणाली नियन्त्रण कक्ष, प्रमाणीकरण गर्ने मेसिन, औजार उपकरण सहितको भवन वा संस्थालाई सम्झनु पर्दछ ।

२१.

४३

१३/११

१३/११
४३



- (ज) "प्रस्ताव" भन्नाले गोलभेला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदान पाउन पेश गरेको आवेदन विवरण समझनु पर्छ ।
- (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले प्रदेश नं. ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समझनु पर्छ ।
- (ञ) "मूल्याङ्कन समिति" भन्नाले मूल्याङ्कन गर्न गठित दफा ६ बमोजिमको मूल्याङ्कन समितिलाई समझनु पर्छ ।
- (ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका समझनु पर्छ ।

३. उद्देश्य: यस कार्यविधिको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः

- (क) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको गोलभेडाको उत्पादन तयार गरी उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ, ताजा, भरपर्दो, गुणस्तरीय प्रशोधित वस्तुहरू आन्तरिक साथै बाह्य बजारमा समेत नेपाली कृषि उत्पादनको पहुँच बढाउन सहयोग पुर्याउने ।
- (ख) प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा औजार प्रयोग गरी गोलभेलाको प्रशोधित गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउने ।

परिच्छेद- २
कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया

४. कार्यक्रम लागू हुने जिल्ला: यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ललितपुर र मकवानपुर जिल्लाबाट प्रतिस्पर्धाको आधार एक स्थानमा सञ्चालन गरिनेछ । आगामी वर्षहरूमा कार्यक्रमको संभाव्यता, प्रभावकारिता तथा बजेट व्यवस्थाको आधारमा अन्य जिल्लाहरूमा समेत विस्तार गर्न सकिनेछ ।

५. सूचना प्रकाशन तथा प्रस्ताव पेश गर्ने: (१) निर्देशनालयले तीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रिय पत्रिका अनुसूची -१ अनुसारको सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आब्हान गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन भएपछि इच्छुक कृषि फार्म, कृषि कम्पनी, कृषि उद्यमी र कृषि सहकारी संस्थाहरूले उक्त सूचनामा तोकिएको समयमा अनुसूची -२ अनुसारको आवेदन र कागजातहरू, अनुसूची -३ बमोजिमको प्रस्ताव तथा अनुसूची -४ बमोजिमको प्रतिबद्धता पत्र समेत संलग्न राखी निर्देशनालयमा निवेदन र प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

६. मूल्याङ्कन समिति: (१) प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि सिफारीस गर्न निर्देशनालयमा तपसिल बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गरिनेछः

- | | |
|--|--------|
| (क) प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत, निर्देशनालय | संयोजक |
| (ख) प्रमुख, खाध सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा, मन्त्रालय सदस्य | |
| (ग) प्रमुख, पोष्टहार्मेस्ट व्यवस्थापन शाखा, निर्देशनालय | सदस्य |

RJ

OM

Lal

Om

W



(घ) प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा, निर्देशनालय	सदस्य
(ङ) कानून अधिकृत (सम्भव भएसम्म), मन्त्रालय	सदस्य
(च) कृषि इन्जिनियर, कृषि यान्त्रीकरण शाखा, निर्देशनालय	सदस्य
(छ) प्रमुख, खरिद ईकाई, निर्देशनालय	सदस्य सचिव

(२) समितिले आवश्यकता अनुसार बढीमा तीन (तीन) जना विषय विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने छ ।

७. मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: मूल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजीमिको हुनेछः

- (क) मूल्याङ्कन समितिले अनुसूची -५ मा तोकिएका मूल्याङ्कनका आधार तथा आवश्यकताका आधारमा अन्य मूल्याङ्कन मापदण्ड तयार गरी रितपूर्वक दर्ता भएका प्रस्तावहरू मूल्याङ्कन गरी छनौटका लागि सिफारिस गर्ने ।
- (ख) सञ्चालित कार्यको अनुगमन गरी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मार्गदर्शन दिने र प्राविधिक सेवा समेत प्रदान गर्ने ।

८. प्रस्तावको जानकारी: छनौट भएका प्रस्तावहरूको जानकारी सम्बन्धित अनुदानग्राहीलाई निर्णय भएको मितिले सात (७) दिन भित्र गराउनु पर्नेछ ।

९. समझौता: (१) प्रस्ताव स्वीकृत भएका अनुदानग्राहीले जानकारी प्राप्त गरेको पन्थ दिन भित्र अनुसूची -६ बमोजिम समझौता गर्नुपर्नेछ ।

(२) छनौट भएका प्रस्तावदाताहरूले पेश गरेको कार्ययोजनाको आधारमा र गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम क्रियाकलापहरू समिटिने गरी लागत ईष्टिमेट तयार पारी समझौतामा उल्लेख गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समयसीमा भित्र समझौता गर्न नआएमा क्रमशः दोश्रो र तेश्रो प्राथमिकतामा रहेका अनुदानग्राहीसँग नियमानुसार समझौता गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद - ३ आर्थिक पक्ष

१०. अनुदान प्रवाह विधि: (१) अनुदानग्राहीले निर्माण तथा खरिद कार्य गरीसके पछि बील, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, स्थलगत कार्यको फोटोको आधारमा बढीमा २ किस्तामा रकम भुक्तानी गरिनेछ ।

(२) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको परिधि भित्र रही कूल लागत रकमको बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) प्रत्येक किस्ता अनुदान रकम बैंक खाता मार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।



(४) अनुदानग्राहीले व्यहोर्ने पर्ने रकम अन्य कुनै/संघ संस्था/स्थानिय तह/
आंशिक वा पुरै व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

११. कन्टिनेन्सी वापत दुई प्रतिशत रकम राखिनेछ र सो रकम सूचना प्रकाशन, अनुगमन,
बैठक भत्ता तथा अभिमुखीकरण आदिमा खर्च गरिनेछ ।

परिच्छेद - ४

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

१२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन: (१) प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको अनुगमन मन्त्रालय,
निर्देशनालय तथा मातहतका निकाय, मूल्याङ्कन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहले
आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नेछन् ।

(२) कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात अनुसूची -७ बमोजिमको उपलब्धि अनुगमन सूचकका
आधारमा कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गरिनेछ ।

१३. प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने: अनुदानग्राहीले अनुसूची -८ बमोजिमको ढाँचामा चौमासिक
रूपमा प्रगति प्रतिवेदन निर्देशनालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ५

विविध

१४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस कार्यविधिमा व्यवस्था भएका विषयहरु यसै कार्यविधि र
उल्लेख नभएका विषयहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

१५. संशोधन: यस कार्यविधिको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्चन परेमा मन्त्रालयले संशोधन
गर्न सक्नेछ ।

१६. कारवाहीको व्यवस्था: अनुदानग्राहीले अनुदान दुरुपयोग गरेको पाईएमा प्रचलित कानून
बमोजिम कारवाही हुनेछ ।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
33310
33311
33312
33313
33314
33315
33316
33317
33318
33319
33320
33321
33322
33323
33324
33325
33326
33327
33328
33329
33330
33331
33332
33333
33334
33335
33336
33337
33338
33339
333310
333311
333312
333313
333314
333315
333316
333317
333318
333319
333320
333321
333322
333323
333324
333325
333326
333327
333328
333329
333330
333331
333332
333333
333334
333335
333336
333337
333338
333339
3333310
3333311
3333312
3333313
3333314
3333315
3333316
3333317
3333318
3333319
3333320
3333321
3333322
3333323
3333324
3333325
3333326
3333327
3333328
3333329
3333330
3333331
3333332
3333333
3333334
3333335
3333336
3333337
3333338
3333339
33333310
33333311
33333312
33333313
33333314
33333315
33333316
33333317
33333318
33333319
33333320
33333321
33333322
33333323
33333324
33333325
33333326
33333327
33333328
33333329
33333330
33333331
33333332
33333333
33333334
33333335
33333336
33333337
33333338
33333339
333333310
333333311
333333312
333333313
333333314
333333315
333333316
333333317
333333318
333333319
333333320
333333321
333333322
333333323
333333324
333333325
333333326
333333327
333333328
333333329
333333330
333333331
333333332
333333333
333333334
333333335
333333336
333333337
333333338
333333339
3333333310
3333333311
3333333312
3333333313
3333333314
3333333315
3333333316
3333333317
3333333318
3333333319
3333333320
3333333321
3333333322
3333333323
3333333324
3333333325
3333333326
3333333327
3333333328
3333333329
3333333330
3333333331
3333333332
3333333333
3333333334
3333333335
3333333336
3333333337
3333333338
3333333339
33333333310
33333333311
33333333312
33333333313
33333333314
33333333315
33333333316
33333333317
33333333318
33333333319
33333333320
33333333321
33333333322
33333333323
33333333324
33333333325
33333333326
33333333327
33333333328
33333333329
33333333330
33333333331
33333333332
33333333333
33333333334
33333333335
33333333336
33333333337
33333333338
33333333339
333333333310
333333333311
333333333312
333333333313
333333333314
333333333315
333333333316
333333333317
333333333318
333333333319
333333333320
333333333321
333333333322
333333333323
333333333324
333333333325
333333333326
333333333327
333333333328
333333333329
333333333330
333333333331
333333333332
333333333333
333333333334
333333333335
333333333336
333333333337
333333333338
333333333339
3333333333310
3333333333311
3333333333312
3333333333313
3333333333314
3333333333315
3333333333316
3333333333317
3333333333318
3333333333319
3333333333320
3333333333321
3333333333322
3333333333323
3333333333324
3333333333325
3333333333326
3333333333327
3333333333328
3333333333329
3333333333330
3333333333331
3333333333332
3333333333333
3333333333334
3333333333335
3333333333336
3333333333337
3333333333338
3333333333339
33333333333310
33333333333311
33333333333312
33333333333313
33333333333314
33333333333315
33333333333316
33333333333317
33333333333318
33333333333319
33333333333320
33333333333321
33333333333322
33333333333323
33333333333324
33333333333325
33333333333326
33333333333327
33333333333328
33333333333329
33333333333330
33333333333331
33333333333332
33333333333333
33333333333334
33333333333335
33333333333336
33333333333337
33333333333338
33333333333339
333333333333310
333333333333311
333333333333312
333333333333313
333333333333314
333333333333315
333333333333316
333333333333317
333333333333318
333333333333319
333333333333320
333333333333321
333333333333322
333333333333323
333333333333324
333333333333325
333333333333326
333333333333327
333333333333328
333333333333329
333333333333330
333333333333331
333333333333332
333333333333333
333333333333334
333333333333335
333333333333336
333333333333337
333333333333338
333333333333339
3333333333333310
3333333333333311
3333333333333312
3333333333333313
3333333333333314
3333333333333315
3333333333333316
3333333333333317
3333333333333318
3333333333333319
3333333333333320
3333333333333321
3333333333333322
3333333333333323
3333333333333324
3333333333333325
3333333333333326
3333333333333327
3333333333333328
3333333333333329
3333333333333330
3333333333333331
3333333333333332
3333333333333333
3333333333333334
3333333333333335
3333333333333336
3333333333333337
3333333333333338
3333333333333339
33333333333333310
33333333333333311
33333333333333312
33333333333333313
33333333333333314
33333333333333315
33333333333333316
33333333333333317
33333333333333318
33333333333333319
33333333333333320
33333333333333321
33333333333333322
33333333333333323
33333333333333324
33333333333333325
33333333333333326
33333333333333327
33333333333333328
33333333333333329
33333333333333330
33333333333333331
33333333333333332
33333333333333333
33333333333333334
33333333333333335
33333333333333336
33333333333333337
33333333333333338
33333333333333339
333333333333333310
333333333333333311
333333333333333312
333333333333333313
333333333333333314
333333333333333315
333333333333333316
333333333333333317
333333333333333318
333333333333333319
333333333333333320
333333333333333321
333333333333333322
333333333333333323
333333333333333324
333333333333333325
333333333333333326
333333333333333327
333333333333333328
333333333333333329
333333333333333330
333333333333333331
333333333333333332
333333333333333333
333333333333333334
333333333333333335
333333333333333336
333333333333333337
333333333333333338
333333333333333339
3333333333333333310
3333333333333333311
3333333333333333312
3333333333333333313
3333333333333333314
3333333333333333315
3333333333333333316
3333333333333333317
3333333333333333318
3333333333333333319
3333333333333333320
3333333333333333321
3333333333333333322
3333333333333333323
3333333333333333324
3333333333333333325
3333333333333333326
3333333333333333327
3333333333333333328
3333333333333333329
3333333333333333330
3333333333333333331
3333333333333333332
3333333333333333333
3333333333333333334
3333333333333333335
3333333333333333336
3333333333333333337
3333333333333333338
3333333333333333339
33333333333333333310
33333333333333333311
33333333333333333312
33333333333333333313
33333333333333333314
33333333333333333315
33333333333333333316
33333333333333333317
33333333333333333318
33333333333333333319
33333333333333333320
33333333333333333321
33333333333333333322
33333333333333333323
33333333333333333324
33333333333333333325
33333333333333333326
33333333333333333327
33333333333333333328
33333333333333333329
33333333333333333330
33333333333333333331
33333333333333333332
33333333333333333333
33333333333333333334
33333333333333333335
33333333333333333336
33333333333333333337
33333333333333333338
33333333333333333339
333333333333333333310
333333333333333333311
333333333333333333312
333333333333333333313
333333333333333333314
333333333333333333315
333333333333333333316
333333333333333333317
333333333333333333318
333333333333333333319
333333333333333333320
333333333333333333321
333333333333333333322
333333333333333333323
333333333333333333324
333333333333333333325
333333333333333333326
333333333333333333327
333333333333333333328
333333333333333333329
333333333333333333330
333333333333333333331
333333333333333333332
333333333333333333333
333333333333333333334
333333333333333333335
333333333333333333336
333333333333333333337
333333333333333333338
333333333333333333339
3333333333333333333310
3333333333333333333311
3333333333333333333312
3333333333333333333313
3333333333333333333314<br



अनुसूची - १
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०..../..../....

कृषि विकास निर्देशनालय, प्रदेश नं. ३, हेटौडाको आ.व को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको हुँदा..... जिल्लाका ईच्छुक कृषि फार्म, कृषि कम्पनी, कृषि उद्यमी र कृषि सहकारी संस्थाबाट दरखास्त आह्वानको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३० (तीस) दिन भित्र अनुसूची - २ आवेदन र सोही अनुसूचीमा माग गरेका कागजातहरु संलग्न राखी निर्देशनालयमा आवेदन एवम् प्रस्ताव दर्ता गर्नु हुन अनुरोध छ ।

पुनर्शः: गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ को वेबसाईट www.molmac.p3.gov.np वा कृषि विकास निर्देशनालयको वेबसाईटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।

२५.



अनुसूची - २
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)
आवेदन फारम

श्रीमान् प्रमुख ज्यू.

कृषि विकास निर्देशनालय, हेटोडा, मकवानपुर ।

मिति:

विषय: गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना अनुदान सम्बन्धमा ।

महोदय,

कृषि विकास निर्देशनालय, हेटोडा, मकवानपुरबाट गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत (आवेदकको नाम तथा टेगाना)..... ले सञ्चालन गर्ने परियोजनाको व्यवसायिक योजना तयार गरी आवश्यक अन्य काजगात सहित अनुदान सहयोगको लागि निवेदन पेश गरेको व्यहोराअनुरोध गर्दछ/छौं । मैले/हामीले यस कार्यक्रम अन्तर्गत अपनाउनुपर्ने नीति र कार्यविधिहरू सम्पूर्ण रूपमा बुझेका छु/छौं र त्यसै अनुसार पूर्ण रूपमा सहमत छु/छौं ।

संलग्न कागजातहरू

१. रु १०।- को टिकट टाँसेको अनुसूची - २ अनुसारको निवेदन,
२. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि,
३. संस्था दर्ता/नविकरण, कर चुक्ता, स्थायी लेखा नम्बर तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,
४. बैठक निर्णयको प्रतिलिपि,
५. प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि आवेदकको आपनै स्वामित्वमा घटिमा ५ रोपनी जमिन भएको वा कम्तीमा १० वर्षको लागि घटिमा ५ रोपनी जमिन लिजमा लिएको हुनुपर्नेछ र सो को प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ,
६. आवेदकसँग रहेको लगानीका श्रोतहरूको आधार,
७. आवेदकको बैक मौज्दातको विवरण वा बैकले लगानी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पत्र,
८. प्रस्तावित जमिनमा सडक, पानी तथा विजुली रहे/नरहेको प्रमाणको कागजात,
९. अनुसूची - ३ अनुसारको व्यवसायिक योजना/प्रस्ताव,
१०. आवेदकले आफू कालो सूचीमा सुचीकृत नभएको स्वघोषणा पत्र,
११. अनुसूची - ४ अनुसारको प्रतिबद्धता पत्र ।

निवेदक

नाम:

पद:

आवेदकको नाम:

ठेगाना:

द्वाप:

२१.

१५ मा ११/८/२०२१



अनुसूची - ३
(दफा ५ सँग सम्बन्धीत)
प्रस्तावको ढाँचा

१. आवेदक र सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी विवरणः

आवेदकको नामः	
पूर्ण ठेगाना (पत्रचारको लागि)	
आवेदकको किसिम (कुनै एक मात्र चिन्ह लगाउने)	१. कृषि सहकारी २. कृषि कर्म ३. कृषि क्रम्पनी ४. कृषि उद्यमी
संस्था दर्ता भएको मिति	
स्थायी लेखा नं.	
संस्थाको मुख्य उद्देश्य	
प्रोपाइटरको वा अध्यक्षको नाम	
मोबाइल नं.	
परियोजना स्थल (कार्य क्षेत्र)	
प्रस्तावित आयोजनाको कुल खर्च (यसमा अनुदान र अनुदानग्राहीको तर्फबाट व्यहोर्ने खर्च समेत समावेश गर्ने)	
अन्य स्रोत वा वित्तीय सहकार्यमा कुनै काम भइरहेको भए, कुन संस्थावाट के-के उद्देश्यक लागि वित्तीय सहयोग पाउनु भएको छ, खुलाउनुहोस्	

२. प्रस्तावनाको औचित्य तथा महत्त्वः

औचित्यः

महत्त्वः

M. ✓ लाल ✓ लाल ✓ लाल ✓



तालिका:को हालको व्यवसायको अवस्था

क्र.सं.	हालको व्यवसाय	व्यवसायको आकार	वार्षिक उत्पादन (अनुमानित)	वार्षिक कुल अनुमानित आम्दानी (रु.)	रोजगारी सिर्जना
१.					
२.					
३.					
जम्मा					

३. अनुदानग्राहीले लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको अवधि:

४. परियोजनाका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू :

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	इकाई	परिमाण			सम्पन्न गर्ने मिति
			हाल	थप गर्ने	जम्मा	

५. वार्षिक आम्दानी र खर्च विश्लेषण (तालिका बनाई आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्नुहोस्)

निस्कर्ष: प्रस्तावित परियोजनामा वार्षिक रूपमाके.जी.प्रशोधन गरिने र उत्पादित वस्तुको बिक्रि वितरण बाट वार्षिक रु.कुल आम्दानी गरिने योजना बनाइएको छ। फारमको प्रस्तावित योजना अनुसार वार्षिक रु. मुनाफा हुने र लाभ लागत अनुपात रहने छ।

२५

४५

५
८५
१

१
२
३
४

W



दृष्टिगत साझेदारी:

यस संस्थाले सञ्चालन गर्ने यो परियोजनाको कुल लागत करिब रु. अनुमान
गरिएको छ जसमध्ये अनुदान उपलब्ध गराउने संस्थाको लागत रु. अपेक्षा
गरिएको छ जुन कूल लागतको प्रतिशत मात्र हो ।

तालिका: लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु र माग गरिएको अनुदान रकमको विवरण

क्र.स.	विवरण	वार्षिक खर्च (रु.)	अनुदान उपलब्ध गराउने संस्थाको (रु.)	अनुदानग्राहिको लागत (रु.)

तालिकामा प्रस्तुत भए अनुसार पूँजीगत कार्यक्रमहरु सञ्चालन (स्थिर पूँजी निर्माण) गर्ने मात्र अनुदान रकम माग गरिएको हो । यसरी लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पाएको खण्डमा यस फर्मले आफ्ना अपेक्षित उपलब्धिहरु हाँसिल गर्नेछ । वार्षिक के.जी. प्रशोधन गरी बिक्रि वितरण गर्न सकिनेछ । साथसाथै व्यवसाय सञ्चालन मार्फत वार्षिक रूपमा जनालाई नियमित र जना/दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने र वार्षिक रु. रकम मुनाफा लिन सकिने भयको हुँदा लागत साझेदारीमा यो प्रस्ताव अनुसारको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न मनासिब देखिन्छ ।


२१

४३

४३

४३

४३



अनुसूची -४
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)
प्रतिबद्धता पत्र

स्थापना कार्यक्रममा सहभागिताको लागि इच्छुक भई सोको कार्ययोजना सहितको आवेदन पेश गरेको का छु/छौं । उक्त कार्यक्रममा छनौट भएमा कार्ययोजनामा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य गर्नेछु र वर्ष सम्म निरन्तरता दिनेछु/छौं । कार्ययोजना अनुसारको कार्य नगरेमा वावर्ष अगावै सो कार्यहरू बन्द गरेमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम प्रचलित व्याज सहित फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु/छौं । अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम सहुला/बुझाउँला । साथै सञ्चालित कियाकलापबाट वातावरणलाई नकारात्मक असर नपूऱ्याउने व्यहोरा तथा प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु/छौं ।

आनुदानग्राहीको तर्फबाट

नाम:

पद:

संस्थाको नाम:

ठेगाना:

सम्पर्क नं.:

दस्तखत:

मिति:

छाप:

दायाँ

बाँया

२१

४५३

Y

८३११

१००/०९



अनुसूची -५
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)
प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारहरू

क्र.सं.	मूल्याङ्कनका आधारहरू	अंक	केफियत
१	निर्माण गरिने संरचनाको लागि प्रस्तावित जमिनको उपयुक्तता	३०	प्रमाण पेश
१.१	पर्यास ५ रोपनी जमिन भएको (आफ्नै नाममा)	३०	गर्नु पर्ने
१.२	पर्यास ५ रोपनी जमिन भएको(संचालक वा शेयरहोल्डर)	२०	
१.३	पर्यास ५ रोपनी जमिन भएको(भाडामा)	१०	
२	प्रस्तावको आर्थिक क्षमता	१५	बैंक
२.१	कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारको लगानी गर्नसक्ने क्षमता भएको	१५	Balance statement
२.१	कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारको लगानी गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको	१०	वा Letter of Bank intent
२.२	कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसारको लगानी गर्नसक्ने सम्भावना न्यून देखिएको	५	
३	प्रस्तावको प्रकार	१०	प्रमाण पेश
३.१	सहकारी	१०	गर्नु पर्ने
३.२	कृषि फार्म/कम्पनी/उद्यमी	८	
४	प्रस्तावित प्रस्तावको आधारमा	२०	आवेदन
४.१	आधुनिक प्रविधिमा आधारित	२०	साथ पेश
४.२	अर्ध आधुनिक प्रविधिमा आधारित	१५	गर्नु पर्ने
४.३	परम्परागत शैलीमा आधारित	१०	
५	भौतिक सुविधा(सडक, विजुली, पानी आदि)को अवस्था	१०	स्थानिय
५.१	सबै आधारभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध	१०	तहको
५.२	अपर्यास भौतिक सुविधा	५	सिफारिश
६	प्रस्तावको गुणस्तर तथा Financial Analysis(Pay back period analysis,B/C ratio,IRR,NPV)	१५	प्रस्तावमा उल्लेख गर्नु पर्ने
	जम्मा	१००	

पुनर्श : मूल्याङ्कनको क्रममा न्यूनतम ५० अंडा वा सो भन्दा बढी अंडा प्राप्त गरेका आवेदकहरूलाई मात्र छनौटको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । वार्षिक कार्यक्रम र बजेट भन्दा बढी छनौट भएमा बढी अंडा प्राप्त गर्नेलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । साथै समान अंडा प्राप्त गरेमा लागत सहभागिता रकम बढी प्रस्ताव गरेकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

२१. २०१८/२०१९/११/११



अनुसूची - ६
(दफा ९ सँग सम्बन्धित)
समझौता पत्र

कृषि विकास निर्देशनालय, हेटौडा, मकवानपुरबाट सञ्चालन गरिने चालु आ.व.....को
गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मिति.....मा गरिएको
प्रस्ताव आव्हानको सूचना अनुसार यस निर्देशनालयको मिति.....को निर्णयले जम्मा
लागत रु.....(अक्षरपीमात्र) मध्ये
निर्देशनालयबाट अनुदान रकम रु(अक्षरपी
.....मात्र) हुने गरी कृषि विकास निर्देशनालय,
हेटौडा (पहिलो पक्ष भनिने), र कृषि सहकारी /कृषि फार्म/ कृषि
कम्पनी/ कृषि उद्यमी (दोश्रो पक्ष भनिने) का बीच तपशील अनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
निम्नानुसारका शर्तहरु पालना गर्ने मञ्चुर गर्दै यो समझौता गरी १/१ प्रति बुझिलियौं/दियौं ।

१. यो समझौता, समझौता भएको मिति देखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
२. यो समझौतामा संलग्न स्वीकृत इस्टिमेट बमोजिमको कार्य यथाशिघ्र सञ्चालन गरी
मिति.....सम्म सम्पन्न गरेर आवश्यक कागजात सहित दोस्रो पक्षले पहिलो पक्ष समक्ष
पेश गर्नु पर्नेछ ।
३. यस समझौता बमोजिमको निर्माण सम्बन्धी कार्य दोस्रो पक्ष आफैले गर्नुपर्नेछ । दोस्रो पक्ष
आफैले नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्था मार्फत गराउन पाइने छैन ।
४. प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई आयोजनाको प्रकृति अनुसार बढीमा दुई किस्तामा समझौता
बमोजिमको रकम दोश्रो पक्षबाट प्राप्त विल विजक, स्वीकृत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र
स्थलगत प्राविधिकको निरिक्षण तथा भुक्तानी सिफारिसको आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
।
५. समझौता बमोजिमको कार्य सञ्चालन तथा सम्पन्नको लागि पहिलो पक्ष मार्फत अनुदान
स्वरूप रु..... र दोस्रो पक्षको लागत सहभागिता रु..... व्यहोरिनेछ ।
६. दोस्रो पक्षले समझौता बमोजिमको गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यक्रममा लागि
समझौतामा समावेश गरिएको श्रोत वाहेक अन्य कुनै सरकारी, गैह सरकारी संघ संस्थावाट
सहयोग, अनुदान आदि प्राप्त गरिने भए प्रथम पक्षलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
७. दोस्रो पक्षले समझौता बमोजिमको काम गर्दा प्रथम पक्षबाट खटिएका प्राविधिकहरूले दिएको
निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।
८. दोस्रो पक्षले कार्यक्रमको विवरण र लागत खुलाई सर्वसाधारण सबैले देखे गरी सार्वजनिक
स्थानमा सम्पूर्ण विवरण सहितको होडिङ बोड राख्नु पर्ने छ ।
९. दोस्रो पक्षले सम्पन्न कार्यको सार्वजनिक जानकारीका लागि Public Audit गराउनु पर्नेछ ।
१०. दोस्रो पक्षको लापरवाहीको कारणबाट कार्य सम्पन्न नभई हानि नोकसानी भएमा त्यसको
सम्पूर्ण जिम्मेवारी दोस्रो पक्षले लिनेछ ।



प्राप्ति अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सोको सञ्चालन लगायत मर्मत सम्भार गर्ने सम्पूर्ण जिस्तमवारी दोश्रो पक्षको हुनेछ । दोश्रो पक्षले कम्तीमा ५ वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपमा समझौता बमोजिमको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

१२. दोश्रो पक्षले आफ्नो परियोजनाको बिमा गराउनु पर्नेछ ।

१३. समझौता बमोजिमको कार्य गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद आएमा प्रथम पक्षको निर्णय अन्तिम मानिनेछ ।

१४. यो समझौतामा उल्लेख भएका कुराहरुमा यस बमोजिम र अन्य कुराहरुमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।

पहिलो पक्षको तर्फबाट

नाम, थर :
पद:
दस्तखत:
मिति:
कार्यालयको नाम र छाप:

दोश्रो पक्षको तर्फबाट

नाम, थर :
पद:
दस्तखत:
मिति:
संस्थाको नाम र छाप:

साक्षीहरु

नाम, थर :
पद:
दस्तखत:
मिति:
कार्यालयको नाम र ठेगाना :

नाम, थर :
पद:
दस्तखत:
मिति:
संस्थाको नाम र ठेगाना :

१३



अनुसूची - ७
 (दफा १२ सँग सम्बन्धित)
उपलब्धि अनुदान सूचक

१. अनुदानग्राहीको नाम, ठेगाना:.....
२. दर्ता नं.
३. सञ्चालन गरेको व्यवसाय :
४. व्यवसायको प्रकार: नयाँ...../ पुरानो.....
५. लाभान्वित घरधुरी परिवार संख्या:.....
६. प्रदेश सरकारबाट अन्य कार्यमा अनुदान प्राप्त हो..... / होइन.....
७. जम्म सञ्चित पूजी वा बचत:.....
८. हाल प्राप्त अनुदानको प्रकार: चालुमात्र...../ पुँजीगत मात्र...../ दुवै.....
९. रोजगारीको अवस्था: महिला..... पुरुष.....
१०. हालको व्यवसायिक विवरण:

क्र.सं.	सञ्चालित मुख्य क्रियाकलापहरू	जम्मा लागत	अनुदानग्राहीको तर्फबाट रु	सम्बन्धित निर्देशनालयको तर्फबाट रु	मुख्य क्रियाकलापले पारेको सकारात्मक प्रभाव वा मुख्य उपलब्धि
क.	चालु खर्च सँग सम्बन्धित				
१.					
२.					
३.					
	जम्मा				
ख.	पुँजीगत खर्च सँग सम्बन्धित				
१.					
२.					
३.					

२/१

४/१

१४/१
१४/१
१४/१
१४/१

नाम	चत्तुरं पुण्यगत (कूलं जम्मा)				
मुख्य व्यवसाय

जम्मा लगानी रु.....

लागत सहभागिता रु.....

अनुदान प्राप्त रु.....

११. अनुदानग्राहीले आफ्नै पहलमा गरेका कृपि व्यवसायिकरनाका मुख्य मुख्य कार्यहरूः

१२. आगामी योजनाहरूः

अनुदानग्राहीको नाम र छाप :

मिति :

८५

Lagmuni



अनुसूची -८
(दफा १३ सँग सम्बन्धित)
प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा

कार्यक्रमको नाम:

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको नाम:

कार्यक्रम सञ्चालन अवधि:

क्र. स.	कार्यक्रम को नाम	अनुदा न रकम	लक्ष्य(इकाई)	प्रगति प्रतिशत	लक्ष्य अनुसा र प्रगति हुन नसके को भए कारण	मासिक/चौमासिक अर्धवा र्षिक वार्षिक/अन्य	कैफिय त
			भौति क	वित्ती य	भौति क	वित्ती य	

कार्यक्रम प्रमुख

दस्तखतः

नामः

पदः

४.